समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 06 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जून, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

समता ने मनाया अपना 18वां स्थापना दिवस समारोह

समता आन्दोलन ने पास किये दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

जयपुर। यह संयोग रहा कि संवैधानिक पुरुषार्थ दिखाने वाले समता आन्दोलन ने इस बार अपना अपना स्थापना दिवस 29 मई को मनाया। इसी दिन युद्ध भूमि में पुरुषार्थ के साक्षात प्रतीक महाराणा प्रताप का भी जन्मदिवस मनाया जाता है। जयपुर के गीता बजाज स्कूल सभा भवन में आयोजित सादे लेकिन गरिमामय समारोह के शुरू में पी.एन.शर्मा ने स्वागत भाषण में सभी का अभिनन्दन करते हुये समारोह की तात्कालिक महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पहले वक्ता के रूप में समता ज्योति के संपादक ने पुरुषार्थ को प्रमाण सहित बताया तो शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बी एल विजय ने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने जागरुकता दिखाई देती तो आज जाति आरक्षण का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता। जबकि सैनिकों के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राणू सिंह राजपुरोहित संगठन के विस्तार के साथ युवा प्रकोष्ठ की स्थापना का सुझाव दिया।

समता जनजातीय प्रकोष्ठ के कालूलाल भील ने कहा कि पहले के केवल भील ही जनजाति थे। अब उसमें मीणा भी घुस गये हैं। जबकि भील धर्म और शौर्य के प्रतीक रहे हैं। जयपुर संभाग के अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह मेघसर ने आव्हान किया कि विचार को जीवित रखना बहुत जरूरी है। इसके लिये भावी पीढी को मजबूत बनाना होगा। अखिल भारतीय समानता मंच के अध्यक्ष विमल चौरड़िया ने स्वीकार किया कि हमने केवल लोगों के मन का भय मिटाया जबकि समता आन्दोलन ने विजयी बनाया।

पूर्व महामंत्री आर एन गौड़ ने अपने सम्बोधन में कहा कि संगठन बनाना आसान होता है। उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वे बोले कि जहाँ कभी 5 अफसर हुआ करते थे अब 50 हो गये हैं। देश में चल रही जातिगत जनगणना के मूल में समता आन्दोलन ही है। इसी अवसर पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. श्याम सुन्दर सेक्दा ने कहा कि जिन लोगों को पीड़ा है वे समता आन्दोलन के पास आये और फ्ल पायें।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और आईजी ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध किया कि अन्तत: देश उसी तरफ जायेगा जिस तरफ रिजर्वेशन होगा। हमें मानना पड़ेगा कि जातिबाद एक बीमारी है। सरकार मिटाना नहीं लाभ लेना चाहती है।

अनेक विकसित देशों में भ्रष्टाचार नहीं है क्योंकि वहाँ सिस्टम मजबूत है। भारत अभी ''ट्रांजिट स्टेट'' में है अत: समता आन्दोलन की भूमिका बहुत बड़ी है। सबसे आसान है खुद को बदल देना। इसके लिये प्रभास जरूरी हैं

कोटा से पधारे कमल सिंह बड़गूजा ने विश्वास प्रकट किया कि सब कुछ हो सकता है यदि काम पर ध्यान दिया जाये। जबकि जोधपुर से पधारे दूल्हासिंह चुण्डावत ने डा. भीमराव अम्बेडकर पर तथ्यपरक बातें कहीं और बताया कि गुलामी की 30 प्रतिशत मानसिकता अभी भी वर्तमान है। विगत 60 सालों में जाति चुराने का चलन बहुत बढ गया है। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने पूरे समारोह में व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हुए भी मंच से सम्बोधन में कटाक्ष किया कि गुरु यदि आरक्षित वर्ग का होगा तो परिणाम क्या रहेगा?

पूर्व एयर वाइस मार्शल अशोक कुमार शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में विचार प्रकट किये - सेना में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन सिविल में 'कोटा' वाला कहना बुरा लगता है फिर भी सब कोटा चाहते हैं।

सबसे अंत में राष्ट्रीय अधक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने आरक्षण के इतिहास की चर्चा करते हुए 19 अगस्त 2012 को संसद मार्ग पर बीस हजार कर्मचारियो/अधिकारियो का धरना उधृत करते हुए बताया कि कैसे 117वाँ संविधान संशोधन रुकवाया गया। आज के सबसे ज्वलंत जातिगत जनगणना विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण और जातिगत जनगणना भाजपा का विषय नहीं रहे हैं उसने काँग्रेस से छीन लिये हैं।

एससी/एसटी की जातिगत जनगणना 1950 से लगातार होती आई है। अब, सामान्य वर्ग और ओबीसी की भी गणना होगी। ओबीसी की जातियाँ जनगणना के लिये उत्साह दिखा रही है, जबकि वे नहीं जानती कि इससे उन्हें नुक्सान होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी के 75 सालों के बाद हम आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढवाने के बजाय उसे कम करवायेंगे। उनके अनुसार जातिगत जनगणना होना और उसका उपयोग होना दोनों अलग बातें है। संविधान के आर्टिकल 16(4) का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें नौकरियों में आरक्षण नहीं है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की नोटिंग के आधार पर दिया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि प्रजातंत्र में देना आसान है लेकिन वापस लेना कठिन है। ईडब्ल्यूएस में पिछड़े और वंचित की वास्तविक परिभाषा है। इसके पाँचों बिन्दु वहीं है जो आन्दोलन देता रहा है। उपस्थित जनसमूह को भयमुक्त बनाते हुये उन्होने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट से बिल्कुल नहीं घबराएँ । इससे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है।

पाराशर नारायण शर्मा ने दो प्रस्ताव भी रखे। पहला- जिस तरह यूपी में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जा चुका है उसी आधार पर राजस्थान में भी समाप्त किया जाये नहीं तो पंचायत चुनावों में हम बड़ा कदम उठायेंगे। दूसरा- बेरोजगारों में से केवल उनसे परीक्षा फीस ली जाये जो इन्कम टैक्स देते हैं। इन्कमटैक्स नहीं देने वालों के युवा अभ्यर्थियों से फीस नहीं ली जाये

उपस्थित जनसमूह ने दोनों हाथ उठाकर ध्वनिमत से प्रस्तावों को स्वीकृति दी। समारोह का मंच संचालन विकास शर्मा ने किया। मंच के पीछे सुमेर और सुभाष ने सारी व्यवस्थाएं संभाली। वर्तमान महासचिव सुरेन्ड सिंह राठौड़ ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

पूरे समारोह के लिए रामप्रकाश सारस्वत के नेतृत्व में गठित समिति में महेश शर्मा, एस.एस.सेवदा, ऋषिराज राठौड, कर्नल राणूसिंह बावडी, एम.एल.महेश्वरी,रमेश शर्मा, एस.एस.राठौड आदि ने आयोजन को सफल बनाया।

अध्यक्ष की कलम से

''बस! अब बहुत हुआ ''

साथियों,

आखिरकार हमने भी कालजयी कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों ''क्षमा शोमती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दन्तहीन, विषहीन, विनीतसरल हो'' को आत्मसात करते हुए 29 मई को सार्वजनिक मंच से जयपुर में घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी पदोन्नति में आरक्षण पूरी तरह समाप्त किया जाये नहीं तो ग्राम पंचायतों के चुनाव में समता आन्दोलन बड़ा और इकतरफ निर्णय करेगा।

हमारा ये निर्णय/ घोषणा कोरी भावुकता या आवेश में लिया गया नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में शैलेन्द्र अग्रवाल का वह शोधपूर्ण समाचार है जो पिछले साल राजस्थान पत्रिका ने मुखपृष्ठ पर पहली स्टोरी के रूप में छापा था। समाचार का मुख्यभाव ये था कि सुप्रीम कोर्टऔर हाईकोर्ट के एक लाख पैंतीस हजार निर्णय लागू होने के लिये भटक रहे हैं।

यही तो समता आन्दोलन के साथ हो रहा है। हम तथ्यों और संवैधानिक मानदण्डों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का केस प्राय: हर बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीतते आये हैं। लेकिन नौकरशाही तरह-तरह के अड़ंगे लगाकर उन निर्णयों को लटकाती रही है।

बस ! बहुत हुआ। 18 साल बाद हमें लगा है कि हमारी सज्जनता को दुर्बलता माना जा रहा है। हम सज्जनता तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन पंचायत चुनावों में ये अवश्य बता देंगे कि हम दुर्बल नहीं है। समता आन्दोलन का प्रत्येक सदस्य तैयार रहे।

जय समता ।

सम्पादकीय

''हम जातिगत जनगणना के समर्थन में- समता आन्दोलन''

सबसे पहली बात समता आन्दोलन ने अपने स्थापना समारोह मास के तहत जयपुर में प्रदेश स्तर के समारोह में 29 मई को जातिगत जनगणना को अपना खुला और बिना शर्त के समर्थन घोषित कर दिया है। सार्वजनिक मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्माने यह घोषणा की है।

हालांकि जातिगत जनगणना में कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले 1930 में अंग्रेजी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी। वे ही आँकड़े आज तक प्रयुक्त हो रहे हैं। क्योंकि, 1991 में काँग्रेस शासन के दौरान 2011 में भी जातिगत जनगणना करवाई गई भी। लेकिन वे आँकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किये गये। अब उसी काँग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने पूरी ताकत से जातिगत जनगणना की मांग उठाई। यहाँ तक कि पार्टी के एक महासचिव राहुल गांधी तो इस पर एकदम अड ही गये।

शुरू में केन्द्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने काँग्रेस की इस माँग का प्रबल विरोध किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में काँग्रेस इसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी और भाजपा के 400 सीटें जीतने के सपने को तो चूरचूर किया ही वरन सत्तारूढ़ पार्टी को बहुमत का आंकड़ा भी नहीं लेने दिया। सम्भवत: इसी कारण गहन विचार मंथन बाद भाजपा की केन्द्र सरकार ने काँग्रेस की माँग स्वीकार करते हुए या यूं कहें कि उसका मुख्य मुद्दा छीनते हुए जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा कर दी। यहाँ रोचक तथ्य ये है कि एससी/एसटी की जनगणना तो 1951 से ही होती आ रही है। लेकिन सामान्य वर्ग, एईडब्ल्यूएस और ओबीसी की गणना अब होनी है। इनमें भी ओबीसी वर्ग बहुत उत्साहित है और उसी ने लोकसभा चुनाव का गणित बदलकर कई सालों बाद कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल का मैडल सौंप दिया।

लेकिन, अभी सब कुछ इतना आसान नहीं है। हालांकि जातिगत जनगणना शुरु हो चुकी है। परंतु दोनों बड़ी पार्टियों में असंतोष की खबरें अखबारों में आने लगी हैं। (वैसे भी टी वी चैनलों को झाय-झाँय करते हुए गंभीर मुद्दों पर चर्चा की फूर्सत ही कहाँ है)जातिगत समीकरणों के सहारे बने और खड़े हुए नेता सच्चाई सामने आने की संभावना से बेहद भयभीत हैं। विशेषकर कथित उच्च वर्ण भी जातियों और उनके नेताओं में स्वयम के अप्रासंगिक होने का डर भीतर गहराई तक बैठा है।

पिछले 35-40 सालों में कथित उच्च जातीय समूहों ने विकास के नाम पर परिवार नियोजन की नीति को इतना उत्साह से अपनाया कि प्राय: 80 प्रतिशत परिवारों में मात्र एक-एक बच्चा या बच्ची ही है। इनमें से भी बच्चे (लड़के) युवा होने पर रोजगार की तलाश में देश के बाहर पलायन कर गये। परिणाम ! परिवार बस नाम मात्रके बचे हैं।

उपरोक्त बातों से ये तो स्पष्ट हो गया कि विगत 75-76 सालों में जातिवाद मिटाने का जो प्रयास था वह वस्तुत: कथित उच्च जातियों को देश की मुख्य धारा से बाहर करने का था। ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, समता आन्दोलन ने जातिगत जनगणना को समर्थन इसलिये दिया है कि इससे एससी/एसटी/ओबीसी व ईडब्ल्यूएस, सामान्य वर्गों में सामर्थ्यशाली (अगड़े) लोगों के आँकड़े सामने आयेंगे तो उनके आधार पर जातिगत आरक्षण को समाप्त करवाया जा सकेगा। जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया -

पंचायती राज: संशय दूर करने व सरकारी तंत्र को सहयोग करने की जरूरत

आरक्षण के बावजूद महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही ?

पंचायतों में निर्वाचन के बाद भी महिला प्रतिनिधियों को हाशिए पर धकेलकर छद्म रूप से नेतृत्व कर रहे प्रधान पति या सरपंच पतियों पर केंद्र सरकार ने नकेल कसने की ठान ली है। 4 मार्च को आरंभ हुए दो दिवसीय कार्यक्रम में ''सशक्त पंचायत नेत्री'' अभियान की औपचारिक घोषणा हुई। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालन में पंचायती राज मंत्रालय ने जो समिति बनाई थी उसने हाल ही रिपोर्ट सौंपी है। यह अध्ययन केरल सरकार के गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कुदुम्बश्री तथा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) द्वारा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक सहित 18 राज्यों में किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक महिला पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाज में उनके पति या पुरुष रिश्तेदार हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस कारण आरक्षण के बावजूद भी महिलाओं की लोकतंत्र में वास्तविक भागीदारी नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि इन महिलाओं में नेतृत्व कौशल को मजबूत करना होगा, साथ ही उनके संशय को दूर करते हुए सरकारी तंत्र को उनके सहयोग में लगना होगा। यह निर्विवाद है कि विश्व के किसी भी हिस्से में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की यात्रा कभी भी सहज नहीं रही है, चाहे वह राजनीति का प्रथम पायदान हो या फिर उच्चतम स्तर। यदि महिला राजनेता को उसके कार्यों से नहीं अपितु उसके 'स्त्री' होने से आंका जाता है तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह उसके लिए राजनीति में अपनी पहचान बनाने की सबसे बड़ी बाधा है। निश्चित ही आज भी यह विचारधारा अपनी जड़ें बड़ी ही गहराई से जमाए हुए है कि महिलाओं के लिए राजनीति का क्षेत्र दूर की कौड़ी है। अमूमन नेतृत्व पदों को पुरुषों का क्षेत्राधिकार मानने वाली सोच सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है यह सोच स्त्रियों में भी व्याप्त है। 'आंतरिक स्त्री द्वेष' जिसे अंग्रेजी भाषा में 'इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी' कहा जाता है, वह भाव है जहां महिलाएं स्वयं के बारे में नकारात्मक सोचती है और स्वयं को ही नहीं अपितु दूसरी महिलाओं को भी पुरुषों की अपेक्षाकृत कमतर आंकती हैं। यही कारण है कि बिना आरक्षण के भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश में महिलाओं के लिए सत्ता पर काबिज होना मुश्किल भरा कार्य है।

बात जहां तक पंचायत में महिलाओं की सत्ता की है तो उनके लिए अनेक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी रहती हैं। हरियाणा में हुए एक अध्ययन के मुताबिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय कई सामाजिक सांस्कृतिक अवरोधों से जूझना पड़ता है। 'वाट विमेन नीड टू सक्सीड इन पंचायत इलेक्शन' 2023 में इंडियन डवलपमेंट रिव्यू का शोध बतलाता है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव के चलते अधिकतर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि स्वयं को अलग-अलग महसूस करती हैं।

पंचायत सेक्रेट्री और दूसरे महत्त्वपूर्ण पदों जो कि प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, उन पर अधिकांशत: पुरुष प्रतिनिधि एवं अधिकारी काबिज होते हैं जिसके चलते बिना किसी राजनीतिक अनुभव के पहली बार चुनाव जीतने वाली ज्यादातर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अधिकारियों से तारतम्य स्थापित नहीं कर पातीं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी क्षेत्र में अनुभव की कमी व्यक्ति के आत्मविश्वास का हनन करती है और जब बात राजनीति जैसे क्षेत्र की हो तो वहां सत्ता लोलुप व्यक्तियों को अनुभव विहीन व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में घुसपैठ करने का सहजता से मौका मिल जाता है। जितना आवश्यक महिलाओं का नेतृत्व पदों पर आसीन होना है, उतना ही जरूरी उनका उस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित होना भी है। हमें यह समझना होगा कि शासन से जुड़े ढांचे में महिलाओं की मौजूदगी नीति निर्धारण के लिए बेहद अहम है।

- ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री और स्तम्भकार-

एससी/एसटी एक्ट में झूठा मुकदमा कराना चार को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई सजा, नजीर बने फैसले

लखनऊ। अनुसूचित जाति और जनजाति को संरक्षण देने, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों और शोषण से सुरक्षा के लिए 1989 में एससी-एसटी एक्ट बनाया गया था। एक्ट को बनाने के बाद ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। इस एक्ट ने पीड़ितों को राहत तो पहुंचाई, लेकिन काफी हद तक इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इस बात का प्रमाण हाल में ही चार मामलों में एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की ओर से सुनाया गया फैसला है। विशेष न्यायाधीश ने झूठा केस दर्ज कराने वाले चार लोगों को कड़ी सजा और जुर्माने से दंडित किया है। इससे झूठे केस दर्ज कराने वालों को कड़ी नसीहत मिली है।

केस-1 :- सहदेव ने कोर्ट के जरिये 12 अप्रैल 2024 को गाजीपुर थाने में सत्यनारायण और उनके बेटे संजय के खिलाफ 16 दिसंबर 2023 को लूट के अलावा एससी एसटी एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में केस गलत पाया गया। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सहदेव को दो अप्रैल को झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर सात साल की कैद और दो लाख एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

केस-2:- रमेश रावत का अरुण, इरफान अली, मोहम्मद जिशान और रिजवान से रुपयों का लेनदेन था। रमेश ने अनुसूचित जाति का सदस्य होने का फायदा उठाने के लिए चारों के खिलाफ वर्ष 2022 में चिनहट थाने में एससी-एसटी एक्ट के साथ ही मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। विवेचना में केस झूठा पाया गया था। कोर्ट ने रमेश रावत के खिलाफ सुनवाई करके उसे आठ मई को पांच साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।

केस-3 :- लाखन सिंह का सुनील दुबे से पांच बीघे जमीन के लिए विवाद चल रहा था। लाखन सिंह ने 15 फरवरी 2014 को कोर्ट के जरिये सुनील दुबे और उसके अन्य साथियों के खिलाफ विकासनगर थाने में हत्या का प्रयास व एससी एसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। विवेचना में केस झूठा पाया गया। कोर्ट ने 16 मई को लाखन सिंह को 10 साल की कैद और दो लाख 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

केस-4:- बाराबंकी के जैदपुर की रहने वाली रेखा देवी ने थाना जैदपुर में 29 जून 2021 को राजेश और भूपेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और एससी एसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में आरोप गलत पाए गए। इसपर कोर्ट ने 16 जून को रेखा देवी को सात साल छह माह की कैद और दो लाख एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

पौराणिक कथन: 'नंदनवमी'

भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को यथाविधी दुर्गाजी की पूजा करने पर विष्णुलाक की प्राप्ति होती है। (भविष्योत्तर)

धर्म धुरंधर धर्म भूलकर,
अपना असली कर्म भूलकर,
जातिवाद के गीत सुनाते-
भारत भू का मर्म भूलकर।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

प्रश्न है !!

पिछडापन आरक्षण
जात आधारित आरक्षण
धार्मिकता का आरक्षण
क्षेत्रीयता का आरक्षण !
पौराणिक आख्यान मे
हमने पढ़ा और सुना
एक था दैत्य रक्तबीज
वह कभी मरता ही नहीं था
जैसे ही गर्दन काटी जाती
जहाँ भी गिरता उसका रक्त
वहीं फिर खडा हो जाता था रक्तबीज।
भारतभूमि की यह कथा
शायद संविधान सभा ने सुनली
सबने यदि नहीं भी सुनी तो
कथित संविधान निर्माता ने पढली
और धड़ दिया सवैधानिक रक्तबीज
अर्थात पिछड़ापन का आरक्षण
वही रूप बदल कर बन गया है
आरक्षण का रक्तबीज
दैत्यराज शुभ-निशुभ के सेनापति
को माँ दुर्गा ने सारा रक्त पीकर मार डाला
हमें भी प्रतीक्षा है
भारत माता कब बनेगी दुर्गा
कब संहार करेगी
रक्तबीज आरक्षण का
कब संकल्प लेगी
योग्यताओं के रक्षण का
भक्तलोग सत्तर-पिचहत्तर
सालों की थकान से
टूटने लगे है थककर
मात्र संसद भवन का
वर्तुल से षटकोणीय होना भर
भारत को भारत नहीं बनाता
अयोग्यता को योग्यता न बनाता
खतरा बढ़ गया है
भीम भीम के प्रेमालाप से
पुन: संकट है महासमर का
बिना कृष्ण अर्जुन के
कौन रोकेगा
कलयुगी रक्तबीज को ?
यही प्रश्न है
प्रति प्रश्न है
फिर फिर प्रश्न है।
- समता डेस्क -

समता आन्दोलन के स्थापना समारोह के ठीक बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता पीयूष माथूर जिन्होंने सर्वाधिक सहयोग राशि एकत्रित की, शॉल ओढाकर श्रीफल और गुलदस्ता भेंट करके सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया।

जातिगत जनगणना में ईडब्ल्यूएस के पांचों मानदण्डों पर आंकड़े एकत्रित करवाये सरकार: समता आन्दोलन

जयपुर। विशेष प्रयास के रूप में समता आन्दोलन ने प्रधानमंत्री एवं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 के शुरू में संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए पांच मनदण्ड निर्धारित किये गये है। ये पांचों मानदण्ड वास्तव में सभी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग और पिछडे वर्ग की पहचान के लिए एक वैज्ञानिक, सत्यापनीय (टमतपपिंइसम) आधार प्रदान करते है जिनमें जाति और धर्म से उपर उठकर सभी जातियों के वंचितों/पिछडों के लिए समदृष्टि का भाव समाहित है। पत्र में प्रार्थना की गई है कि आने वाले समय में होने जा रही जातिगत जनगणना में एक परिवार और एक व्यक्ति को आधार मानते हुये सभी जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) की पहचान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निम्न पांच मानदण्डों पर आवश्यक रूप से आंकडे एकत्रित किये जाये:- (1.) 5 एकड या उससे कम कृषि भूमि, (2.)1000 वर्ग फीट या उससे कम आवासीय फ्लैट, (3.)अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 गज या कम का आवासीय प्लॉट, (4.)अन्य क्षेत्र में 200 वर्गगज या कम का आवासीय प्लॉट एवं (5.)परिवार की 8 लाख से कम वार्षिक आय

उपरोक्त मानदण्डों पर आंकडे एकत्रित करने से वास्तविक कमजोर, वंचित, पिछडे व्यक्ति और परिवार के लिए आरक्षण या अन्य सरकारी योजनाऐं बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। सम्पन्न जातियों, व्यक्तियों और परिवारों द्वारा आरक्षण एवं अन्य सरकारी योजनाओं को लूटने की प्रवृति पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। पत्र की प्रति सभी लोकसभा/ राज्यसभा सांसदों को भेज कर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

प्रदेश स्थापना महोत्सव की झलकियाँ

भरतपुर ने मनाया स्थापना महोत्सव

जाति जनगणना राष्ट्र हित में: पाराशर नारायण

भरतपुर। समता आंदोलन का 18वां स्थापना महोत्सव धूमधाम से गिरीश रिसॉर्ट में मनाया गया। महोत्सव का प्रारम्भ मां भारती के चित्र पर पुष्पाहारए दीप प्रज्वलित कर मां भारती की वंदना व समता गान से हुआ। महोत्सव में मंचासीन अतिथियों को पटका,बैज व समता का परिचय चिन्ह पहना कर किया गया। मंच पर पंडित राम किशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण, सुरेन्द्र सिंह राठौर, रामनिरंजन गौड ऋषिराज सिंह राठौर,बाबूलाल विजयवर्गीय, हेमराज गोयल, ओमप्रकाश शर्मा सुरेन्द्र परमार, नरेश सिंह ओमवीर सिंह,राहुल लवानियां मंचासीन हुए। सभी आगंतुक भाई बहनों को प्रवेश द्वार पर पटका पहनाकर स्वागत किया गया। शताब्दी पुरुष पंडित राम किशन का सॉल, पटका, भगवान श्रीराम की तस्वीर भेंटकर कर गायत्री परिवार के द्वारा स्वस्ति मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा कर स्वस्थ व दीर्घायु की कामना की। पंडित राम किशन जी ने समता आंदोलन व पदाधिकारीगण व सदस्यों को आशीर्वाद दिया।

संभाग अध्यक्ष हेमराज गोयल ने सभी अतिथियों का शब्दिक

स्वागत किया। आपने स्वागत भाषण में प्रान्तीय व राष्ट्रीय पदाधिकारीगण से कहा कि जातिगत जनगणना को सामान्य जातियों के हित में परिणाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं इसके लिए मंच से आग्रह किया।

जिलाध्यक्ष केदार नाथ पाराशर ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा कि भरतपुर इकाई द्वारा समय समय पर प्रान्तीय नेतृत्व से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए अवश्यकतानुसार ज्ञापन राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को भिजवाए। समता आंदोलन सामाजिक सरोकार के मुद्दो को भी उठाता रहा है जो सर्वजन हिताय होते हैं। सामाजिक सरोकार जैसे वृक्षारोपण, पॉलीथीन निस्तारण, रक्तदान, स्वच्छता आदि के लिए प्रशासन सामाजिक संगठनो समता आंदोलन संगठन के साथ मिलकर भी कामों में सहयोग करता है। गांव-गांव मोहल्लों-मोहल्लों में जाकर समता आंदोलन की अलख जगाने का काम किया है। उसके लिए समस्त समतावादियों को धन्यवाद दिया। अब हम युवा वर्ग को जोड़ने पर काम कर रहे हैं। जो कि उनके लिए ही महत्वपूर्ण है।

तहसील भुसावर से तहसील अध्यक्ष महेश चन्द जति, नदबई अध्यक्ष मदनमोहन, जिलाध्यक्ष धौलपुर सुरेंद्रसिंह परमार,जिलाध्यक्ष करौली नरेश सिंह, जिलाध्यक्ष डीग राहुल लवानियां, प्रांतिय सलाहकार रामनिरंजन गौड, प्रान्तीय महामंत्री सुरेंद्र सिंह राठोड, संभाग अध्यक्ष जयपुर ऋषिराज सिंह राठौर, प्रदेशाध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ बाबूलाल विजयवर्गीय, संभाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ ओमप्रकाश शर्मा ने समता

आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाने वाले अपनी अपनी राजनीति साधने में लगे हैं, जो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाह रहे थे वे भी राजनीति ही कर रहे हैं। वैसे जातिगत आंकड़े हर राजनेता के पास हैं लेकिन नहीं हैं तो सरकार के पास कागजों में नहीं है। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना रिकॉडेड हो वह आंकड़े जातिगत आरक्षण समाप्त कराने में मदद करेंगे। अजजा, अजा के आंकड़े पहले से थे अब जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी व सामान्य वर्ग के भी आंकड़े आवेंगे। शर्मा जी ने आगे कहा कि एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे में कोई भी थानेदार सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन है। यदि कोई इस एक्ट से पीडित हो तो वह समता आंदोलन समिति के संज्ञान में लाये हम उसकी मदद करेंगे। समता आंदोलन की मांग है कि के पांचों मानदंड सभी आरक्षित वर्गों में लागू किए जायें जिससे जरूरत मंद को आरक्षण का लाभ मिल सके। आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश में आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के वांछित हकदार बालको को निजी क्षेत्र के कालेजों में करोड़ों रुपए खर्च कर एडमिशन मिलता है जिसका खामियाजा वह विद्यार्थी क्यों भोगे ऐसे बालकों का खर्च सरकार उठाए। लेकिन कोई इसका विरोध तो करे आवाज तो उठाए समता आंदोलन उसके साथ है। राजनीति में विरोध सुना जाता है उन्होंने दो संकल्प समतावादियों से लिए-1. जो फैसला उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति, आरक्षण के आधार पर बन्द की ऐसा फैसला राजस्थान सरकार भी करे। 2. प्रतियोगी परीक्षाओं में बेरोजगार परीक्षार्थियों से जो शुल्क लिया जाए उसे आयकर दाता व आयकर अदाता दो केटेगरी में लिया जाए। आरक्षित व अनारक्षित कैटेगरी में नहीं लिया जाए।

अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित राम किशन ने कहा कि समता आंदोलन की बातों का दश प्रतिशत भी पालन करते हैं तो यह प्रयास अवश्य सफल होंगे। समता आंदोलन के शहर अध्यक्ष सुनील बंसल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन समता गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन शैक्षिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सतीश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली, भरतपुर, डीग के सेकडों पदाधिकारीगण व सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के गणमान्य महिलाए व पुरुष सम्मिलित हुए।

कोटा ने मनाया स्थापना महोत्सव

ईडब्ल्यूएस जातिगत आरक्षण की समाप्ति की नीव: पाराशर नारायण

कोटा। जातिगत आरक्षण विरोध में सक्रिय रूप में समता आंदोलन समिति ने अपना 18वां स्थापना दिवस हनुमान काटिका गोदावरी धाम में बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुभारम्भ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया।

मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पारासर नारायण शर्मा ने वर्तमान आरक्षण नीति पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जातिगत आधार पर मिलने वाले आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र शिक्षा और रोजगार के अवसरों से बंचित हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कहा कि एक सामान्य वर्ग का छात्र अच्छे अंक लाने के बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पा पाता और उसे लाखों रुपए खर्च कर निजी संस्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, कम योग्यता वाले छात्र केवल जाति के आधार पर लाभ उठा

रहे हैं। यह स्थिति सामाजिक न्याय नहीं बल्कि योग्यता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि समिति को वर्षों की वैचारिक लड़ाई का परिणाम है कि आज प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जो सामाजिक समता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जातिगत आरक्षण समाप्त करने की दिशा में पहला ठोस कदम बताया और कहा कि 2018 में हुए हिंसक आंदोलनों के बाद जब सामान्य वर्ग ने 6 सितंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया, तो उसी के दबाव में सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना पड़ा।

जातिगत जनगणना का किया समर्थन

उन्होंने इस अवसर पर जातिगत जनगणना का खुला समर्थन करते हुए कहा कि इससे क्रीमीलेयर को पहचान संभव होगी और पास्तविक जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि आंकड़ों के आधार पर उपवर्गों का विश्लेषण किया जाए, तो समाज के सबसे कमजोर तबके तक सहायता पहुंचाई जा सकेगी। इस दौरान सात सूत्रीय मांगों की घोषणा की गई, जिनमें प्रमुख पदोन्नति में आरक्षण

की समाप्ति, एससी.एसटी एक्ट की समाप्ति, ईडब्ल्यूएस का विस्तार सभी समुदायों तक, अनुसूचित जातियों में श्रेणीकरण, विधानसभा-लोकसभा में आरक्षण समाप्ति, विधायक-सांसद सलाहकार समिति का गठन और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम सीटें सुनिश्चित करना।

राजनीतिक दलों को टिकर वितरण में हो आरक्षण व्यवस्था

कोटा संभागीय अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दलों को टिकट वितरण में भी आरक्षण को व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की प्रतिभा आरक्षण व्यवस्था के कारण दब गई है, तो उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विधायक व सांसदों के लिए सालाहकार समिति का गठन होना चाहिए। संभागीय संयोजक राजेन्द्र गौतम ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि अब सरकारें आरक्षित पदों से अधिक संख्या में नियुक्तियां नहीं कर सकतीं। उपाध्यक्ष कमल सिंह ने कहा कि राजनेताओं ने समाज को जाति के नाम पर बांटने का कार्य किया है और अम समय आ गया है कि यह विभाजन समाप्त हो। प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने योग्यता आधारित व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखेगा। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल रानू सिंह राजपुरोहित ने कहा कि देश की रक्षा में जाति का नहीं, योग्यता का महत्व होता है। बरखा जोशी व अन्य कलाकारों ने वीर सेनानियों के अदम्य साहस को सलाम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को विशेष सलामी दी।

जिलाध्यक्ष गोपाल गर्ग ने स्वागत भाषण में संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और 10 वर्षों में संगठन की प्रगति की समीक्षा की मांग रखी। महामंत्री रास बिहारी पारीक ने मंच संचालन किया। इस दौरान बाबा शैलेन्द्र भार्गव, इंदु शर्मा, नधि सक्सेना, रमेश शर्मा, शंकरलाल सिंघल, हरिशंकर सैनी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in